UPBJ010026972026

न्यायालय Special Judge (SC/ST) Act, Bijnor

पीठासीन अधिकारी– (Sri Avdhesh Kumar), **(उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP06074**

जमानत प्रार्थना पत्र सं0–703/2026

मु0अ0सं0–78/2021
धारा–420,406,120बी,504,506 भा0दं0सं0
व 3(1)ध एस0सी0,एस0टी0 एक्ट
थाना–चांदपुर, जिला बिजनौर।

दिनांक 11–03–2026

यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्ता नितिन कुमारी उर्फ लवली की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मु0अ0सं0 78/2021, धारा 420,406,120बी,504,506 भा0दं0सं0 व धारा 3(1)ध एस.सी./एस.टी. एक्ट थाना चॉदपुर, जनपद बिजनौर के प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है जो शपथ पत्र से समर्थित है। अभियुक्ता न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र पूर्व में अनुपस्थित के कारण निरस्त किया जा चुका है।

अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक के तर्को को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। वादी को जमानत प्रार्थना पत्र की सूचना प्राप्त है परन्तु उसकी ओर से कोई उपस्थित नहीं है।

संक्षेप में वादी मुकदमा चतर सिंह के द्वारा इस आशय की प्राथमिकी दर्ज करायी गयी कि वादी की मुलाकात राहुल व अंकित से हुयी, उनके द्वारा नितिन कुमारी से पहचान हुयी और उन्होंने कहा कि अपनी मौसी शिवानी से शादी करा देगें। फरवरी 2019 मे अमित कुमार व अंकुल ने बताया कि हमारी मौसी शिवांगी जो बहुत सुन्दर है जिससे हम तुम्हारी शादी कराना चाहते हैं। वह दोस्ती के कारण विश्वास में आकर बात करने लगा। कुछ दिन पश्चात राहुल ने बताया कि नितिन कुमारी उर्फ लवली की मम्मी बहुत बीमार है, उसे कुछ पैसे दे देना। वादी ने अपने साथी रवि कुमार व प्रदीप कुमार से 20–20 हजार रूपये उसके खाते में डलवा दिये। पुनः उसके खाते में 50 हजार व अमित के खाते में 10 हजार रूपये डाल दिये। फिर एक दिन राहुल ने बताया कि नितिन कुमारी उर्फ लवली की ताई ने उसे जहर दे दिया है इलाज के लिए उन्हें उधार पैसे देते रहना हम आपके पैसे वापस कर देंगे। प्रार्थी ने उनके दिये खातों में पैसा डलवाया। इसी प्रकार वादी मुकदमा से अभियुक्तगण ने कई बार किसी न किसी के ईलाज का बहाना बनाते हुए उधार रूपयों की मांग की जाती रही तथा वादी मुकदमा द्वारा भिन्न भिन्न तिथियो को विपक्षीगण

Digitally signed by AVDHESH KUMAR
Date: 2026.03.11 16:40:31 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

के खातो में पैसे डाले गये। वादी ने जब अपने पैसे मांगे तो विपक्षीगण ने देने से मना कर दिया तथा कहा कि तुम पर बलात्कार का झूठा मुकदमा लिखवा देगें। विपक्षीगण का सुनियोजित गैग है जो सीधे साधे लोगो को जाल में फॅसाकर ठगी करते है। विपक्षीगण ने 19,17,000/– रूपया ठग लिये जिसमें से 1,00,000/–रूपये पुलिस ने वापस करा दिये। शेष 3,30,000/–रूपये भी पुलिस के सामने विपक्षीगण ने वापस कर दिया, शेष धनराशि 13,82,000/–रूपये हड़प लिया। वादी द्वारा पैसे मांगने विपक्षीगण ने जातिसूचक शब्द चमार चटटा कहकर गन्दी–2 गालिया व जान से मारने की धमकी दी और झूठे मुकदमें में फसाने की धमकी दे रहे है। वादी की उक्त तहरीर के आधार पर थाना चॉदपुर में प्राथमिकी मु0अं0सं0 78/2021 अन्तर्गत धारा 420, 406, 120बी, 504, 506 भा0द0स0 व धारा 3(1)ध एस.सी./एस.टी. एक्ट पंजीकृत किया गया। विवेचना के उपरान्त विवेचनाधिकारी द्वारा अभियुक्ता व सहअभियुक्तगण के विरूद्व धारा 420,406,120बी,504,506 भा0द0स0 व धारा 3(1)ध एस.सी./एस.टी. एक्ट के अन्तर्गत न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया है।

अभियुक्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र में उल्लेख करते हुए तर्क दिया गया कि प्रार्थिनी को उपरोक्त वाद में झूठा फंसाया गया है। प्रार्थिनी निर्दोष है। उसने कोई अपराध नहीं किया है। प्रार्थिनी के विरूद्ध कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। प्रार्थिनी चण्डीगढ में रहकर प्राईवेट कम्पनी में जाब करती थी जहां फेसबुक के जरिये वादी मुकदमा से जानकारी के बाद बातचीत तथा मुलाकात होने लगी। वादी उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी है वह कई बार उससे चण्डीगढ मिलने आया तथा आपसी सहमति से दोनो की शादी तय हो गयी। इसी बीच वादी प्रार्थिनी के खाते में रिश्वत के पैसे लेकर डलवाता रहता था तथा वह रूपये प्रार्थिनी से निकालवाकर लेकर आता था। इसी सम्बन्ध में वादी का दो बार निलम्बन भी हो चुका है। प्रार्थिनी ने शादी के लिए दबाव बनाया तो वादी ने शादी करने से इन्कार कर दिया तथा धमकाया। प्रार्थिनी दौरान विवेचना धारा 41 क दं0प्र0सं0 के नोटिस पर छोडी गयी थी। प्रार्थिनी महिला है तथा धारा 437 दं0प्र0सं0 का लाभ दिया जाना आवश्यक है। सहअभियुक्त अमित कुमार की जमानत माननीय उच्च न्यायालय से तथा महेन्द्र व अंकुल की जमानत इसी न्यायालय से स्वीकार हो चुकी है। प्रार्थिनी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थिनी जमानत देने को तैयार है। अभियुक्ता को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा तर्क किया गया है कि अभियुक्ता ने सहअभियुक्तगण के साथ षडयन्त्र रचकर अनुसूचित जाति के वादी मुकदमा से 19,17,000/– रूपया धोखा–धडी करके प्राप्त कर लिया जिसमें से 4,30,000/–रूपये पुलिस ने वापस करा दिया शेष धनराशि 13,82,000/–रूपये वापस नहीं किया तथा पैसे मांगने वादी को चमार चटटा कहते हुए गन्दी–2 गालियॉ व जान से मारने की धमकी

दिया। अभियुक्ता द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अभियुक्ता का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

पत्रावली एवं उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया। अभियुक्ता के विरूद्व आरोप है कि अभियुक्त के द्वारा सहअभियुक्तगण के साथ षडयन्त्र रचकर अनुसूचित जाति के वादी मुकदमा से 19,17,000/– रूपया प्राप्त किया, जिसमें से 4,30,000/–रूपये पुलिस ने वापस करा दिया, शेष धनराशि 13,82,000/–रूपये वापस नहीं किया, रूपये वापस मांगने पर वादी मुकदमा को गन्दी–2 जातिसूचक गालियॉ देते हुए जान से मारने की धमकी दी गयी। प्रस्तुत प्रकरण में विवेचना समाप्त कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। अभियुक्ता को थाने से 41क दं0प्र0सं0 के नोटिस पर छोडा गया था। अभियुक्ता अन्तरिम जमानती पर है। उसके द्वारा अन्तरिम जमानत के दुरूपयोग का कोई तथ्य नहीं लाया गया है। अभियोजन की ओर से अभियुक्ता को कोई पूर्व आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं कया गया है। सहअभियुक्त अमित की जमानत माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा तथा सहअभियुक्तगण महेन्द्र व अंकुल की जमानत इस न्यायालय द्वारा पूर्व में स्वीकार की जा चुकी हैं। **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवधारित विधि व्यवस्थां क्रि0 अपील सं0 838/2021 सिद्धार्थ प्रति उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य निर्णय दिनांक 16–08–2021 एवं सतेन्द्र कुमार अन्टिल बनाम सी0बी0आई0 मिस0 अपील डायरी नं0 1849 सन 2021 एस.एल.पी. (क्रिम0) 5191/2021 निर्णय दिनॉकित 11.07.2022, दाताराम सिहॅ बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एवं अन्य (2018) 3 एस.सी.सी. 22,माननीय उच्च न्यायालय के परिपत्र संख्या सी0एल0 नं0 11 /2023 /एडमिन जी–II दिनॉकित इलाहाबाद 27.04. 2023** के आलोक में अभियुक्ता जमानत पर रिहा किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्ता **नितिन कुमारी उर्फ लवली** का उपरोक्त प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्ता के द्वारा अंकन 20,000/–रूपये (बीस हजार रूपये) की धनराशि के दो जमानती तथा समान धनराशि का व्यक्तिगत बन्ध पत्र दाखिल करने पर अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाए।

(अवधेश कुमार प्रथम)
विशेष न्यायाधीश, एस.सी,एस.टी(पी.ए.) एक्ट
बिजनौर।
J.O.Code U.P.-06074